न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व रायसिंहनगर
पीठासीन अधिकारीः— सुभाष चन्द्र, आर.ए.एस.

प्र.सं.— 55 / 2021
जी.सी.एम.एस. : 2021 / 138

1. हरमनसिंह पुत्र श्री राजपालसिंह जाति जटसिख साकिन 1 एन.पी. तहसील रायसिंहनगर— नाबालिग जरिये कुदरती वली माता कुलवीर कौर पत्नी श्री राजपालसिंह जाति जटसिख साकिन 1एन.पी. तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ।
2. नवदीप कौर पुत्री श्री राजपालसिंह जाति जटसिख साकिन 1 एन. पी. तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ।

—प्रार्थीगण

बनाम

1. राजपालसिंह पुत्र स्व. श्री मेहरसिंह जाति जटसिख साकिन 1 एन.पी. तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) रायसिंहनगर।

—:अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

रजू दिनांकः— 16.04.2021

उपस्थितिः—
1. श्री प्रीतमसिंह , वकील प्रार्थीगण
2. श्री मगतराम, वकील अप्रार्थी

—: निर्णय :—

दिनांक : 13.05.2024

01. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण ने वाद पत्र के साथ प्रार्थना पत्र 212 आर. टी.एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी सं. 1 प्रार्थीगण का पिता है । स्वर्गीय श्री मेहरसिंह पुत्र श्री इन्द्रसिंह प्रार्थीगण के दादा वा अप्रार्थी सं. 1 के पिता थे, जिनके देहान्त उपरान्त उनकी वाके चक 1 एन.पी. के मुरब्बाजात संख्या 18—32—10 में स्थित भूमि उनके वारिसान अप्रार्थी सं. 1 व अन्य के नाम से राजस्व अभिलेखों में विरासतन दर्ज हुई । मुताबिक जमाबन्दी सं. 2075—2078 वाके चक 1 एन.पी. तहसील रायसिंहनगर के संयुक्त खाता संख्या 5 / 6 में पं.नं. 133 / 307 मु.नं. 32 की 5.823 है0 नहरी व 0.251 है0 खाला व प.नं. 137 / 305 मु.नं. 10 की 2.530 है0 नहरी कुल खाता योग 8.604 है. नहरी मय खाला में अप्राथी संख्या 1 राजपालसिंह का 341 / 1434 हिस्सा, इसी चक के खाता संख्या 72 / 4 में पं.नं. 133 / 306 मु.नं. 17 के कि.नं. 1 / 2 की कुल खाता योग 0.127 है. नहरी, दोनो खातों में कुल 2.173 है. नहरी भूमि अप्राथी सं. 1 की स्वअर्जित नहीं होकर प्रार्थीगण के हकीकी दादा एवं अप्रार्थी संख्या 1 पिता मेहरसिंह की विरासत से प्राप्त होने से जद्दी जायदाद (पेतृक सम्पति) की परिभाषा में आती है। चूंकि प्रार्थीगण अप्रार्थी सं. 1 की वेध संतान होने से उन्हे जन्म से ही उक्त विवादित रकबा में पेतृक सम्पति होने से उन्हे जन्म से ही उक्त विवादित रकबा में पैतृक सम्पति होने से हक—हकूक वा अधिकार निहित होकर तदनुसार वे अपने भाग के रकबा पर भी काबिज काश्त अप्रार्थी सं. 1 के साथ चले आ रहे है। इसप्रकार विवादित रकबा पैतृक सम्पति (जद्दी जायददाद) होने से प्रार्थीगण वा अप्रार्थी सं. 1 प्रत्येक एक का 1 / 3,1 / 3 भाग भूमि बनती है ओर तदनुसार प्रार्थीगण विवादित रकबा में अपने—अपने कुल 2 / 3 भाग अर्थात 1.449 है. खातेदारी रकबा पर अपने खातेदारी हक'—हकूक वा अधिकारों को घोषित करवा पाने के विधिक अधिकारी है अप्रार्थी सं. 1 के नशे का आदि होने व अयाशी प्रवृति में व बुरी संगत में चले जाने वा कुछ अरसा से अप्रार्थी सं. 1 की रंगीन मिजाजी व अयाशी काफी बढ गई है तथा विभिन्न प्रकार के अत्याधिक नशे वा मेडिकल नशे का आदि हो जाने से उसकी शारीरिक वा मानसिक हालत अत्यन्त खराब है मन व शरीर से स्वस्थ व स्थिर व एकचित नहीं है उसे अच्छे—बुरे का कोई ज्ञान नहीं है अप्रार्थी सं. 1 की उक्त खराब हुई मानसिक वा शारीरिक स्थिति का बेजा नाजायज लाभ उठाने के लिए प्रार्थीगण के विरोधी व लालची प्रवृति के नजदीकी रिश्तेदार उन्हे अपने बेजा प्रभाव व दबाव में लेते हुये कूटरचित दस्तावेज तैयार [illegible] उनके हक व पैतृक सम्पति (जद्दी जायदाद) से वंचित करने की [illegible] किसी के बहकावे अथवा प्रभाव व दबाव में आकर खुर्द—बुर्द [illegible] बीज व ममनू [illegible] वह प्रथमतः टालमटोल पश्चात अतंत दिनांक 21.06.2020 को बमुकमाम ढ़ाटावली [illegible] काश्त के रकबा से जबरदस्ती बेदखल कर विवादित रकबा उसके अकेले [illegible] से दर्ज होने का बेजा [illegible] फायदा उठा प्रार्थीगण को विवादित रकबा में उनके हक व पैतृक हिस्सा से वंचित करते हुये इसलिये प्रार्थीगण को अन्य को रहन, बैय या अन्य तरीके से हस्तान्तरित कर कब्जा सुपुर्द करेगा,

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.05.15 12:05:05 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner

अपने विधिक अधिकारों की संसुरक्षा व वांछित अनुतोष व व्यादेश प्राप्ति के लिये माननीय न्यायालय के समक्ष वाद लाना पड़ा। अगर दौराने वाद अप्रार्थी सं. 1 अपने उक्त अवेधानिक व गेरकानूनी कृत्य में कामयाब हो गया तो उससे प्रार्थीगण के वाद का मकसद ही फोत हो जावेगा और प्रार्थीगण के विधिक अधिकारों का हनन होगा, गेरइंसाफी होगा, अन्याय होगा, अपूर्णिय क्षति होगी, इसलये प्राथीगण वाद के निरतारण तक अप्रार्थी सं. 1 के विरूद्व अस्थाई व्यादेश पाने का विधिक अधिकारी है इसलिए प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट बाबत अस्थाई व्यादेश मय हल्फनामा पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना –पत्र प्रार्थीगण स्वीकार फरमाया जाकर ताः फैसला मूल वाद प्रार्थीगण के पक्ष में अप्रार्थी सं. 1 के विरूद्व इस आशय का अस्थाई व्यादेश पारित फरमाया जावे कि वह विवादित रकबा वाके चक 1 एन.पी. तहसील रायसिंनगर के संयुक्त खाता संख्या 5/6 में प.नं. 133/307 मु.नं. 32 की 5.823 है. नहरी व 0.251 है. खाला व पं.नं. 137/307 मु.नं. 10 की 2.530 है. नहरी कुल खाता योग 8.604 है. नहरी मय खाला में अप्रार्थी संख्या 1 राजपालसिंह का 341/1434 हिस्सा, इसी चक के खाता संख्या 72/4 में प.नं. 133/306 मु.नं. 17 के कि.नं. 1/2 की कुल खाता योग 0.127 है. नहरी, दोनों खातो में कुल 2.173 है. नहरी भूमि को स्वयं या अन्य के माध्यम से किसी भी प्रकार से किसी अन्य को रहन, बेय या अन्य तरीके से हस्तान्तरित करने से बाज व ममनू रहे तथा मौका एवं रिकार्ड की स्थिति यथावत बनाये रखे जाने आदेश दिये जावे।

02. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया। वकील प्रार्थी एवं अप्राथी सं. 1 की तरफ से श्री मंगतराम नायक अधिवक्ता की बहस सुनने के उपरान्त संलग्न दस्तावेज अनुसार उक्त भूमि विरास्तन प्राप्त होना साबित होने पर प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में होने पर प्रार्थीगण के अधिवक्ता के निवेदन करने पर दिनांक 16.04.2021 को अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की गयी। अप्रार्थी की ओर से श्री मगतराम नायक अधिवक्ता ने दिनांक 05.07.2021 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 4 एवं 151 सीपीसी प्रस्तुत किया। एवं प्रार्थीगण अधिवक्ता ने प्रा. पत्र आदेश 39 नियम 4 एवं 151 सीपीसी का जवाब एवं जवाब अप्रार्थी दिनांक 16.08.2021 को प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थी सं. 1 ने प्रार्थना पत्र के जवाब में कथन किया कि अप्रार्थी सं. 1 के जो हिस्से में भूमि आई है वह भूमि हकत्याग के जरिये बहिनों से प्राप्त की गई है व भूमि विरास्तन सम्पत्ति नही है ना ही प्रार्थीगण ने विरास्तन सम्पत्ति होने का दस्तावेज पेश किया है। उक्त सम्पत्ति पैतृक सम्पत्ति नहीं है, क्योकि हकत्याग के जरिये बहिनों से प्राप्त हुई है। अप्रार्थी संख्या 1 पर लगाये गये आरोप झूठे व निराधार है उक्त तथ्य बाबत् कोई मुकदमा दर्ज नहीं है , जबकि प्रार्थीगण की माता कुलवीरकौर व उसके परिजनों ने ही अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि बेचान करवाकर रूपये ऐंठ लिये, बची हुई भूमि भी झूठे मुकदमें दर्ज करवाकर हडपना चाहते है। इस आशय से उन्होने अप्रार्थी सं. 1 पर दहेज प्रताडना का एक झूठा मुकदमा भी दर्ज करवा दिया। केवल मात्र वाद पत्र में वाद कारण बनाने के आशय से झूठे तथ्यों पर आधारित है, प्रार्थीगण कोई अनुतोष पाने के अधिकारी नहीं है क्योंकि उक्त वाद पत्र में विवादित भूमि पैतृक सम्पत्ति की परिभाषा मे नहीं आती है, प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 1 की कृषि भूमि में खडी फसल को नष्ट कर दिया, जिससें अप्रार्थी को अपूर्णिय क्षति हुई, क्योकि अप्रार्थी संख्या 1 का कब्जा काश्त है। इसी आधार पर प्रार्थीगण व उसके मामा, नाना आदि के विरूद्व पुलिस थाना मुकलावा द्वारा एफआईआर संख्या 86/2021 अन्तर्गत धारा 447, 427, 147 आईपीसी में दर्ज हुई जो जेरकार है। अप्रार्थी संख्या 1 राजपाल का विवादित भूमि पर कब्जाकाश्त है। कब्जाकाश्त के आधार पर ही पुलिस थाना मुकलावा द्वारा कृषि भूमि में अवैध प्रवेश करने तथा रिष्टी कारित करने पर अन्तर्गत धारा 447,427,147 आईपीसी एफआईआर संख्या 86/2021 दर्ज हुई, जो जेरकार है।

बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि विवादित भूमि प्रार्थीगण को अपने अप्रार्थी सं. 1 के पिता से विरास्तन प्राप्त है। अतः प्रार्थीगण को अपने अप्रार्थी सं. 1 के पिता से प्राप्त विरास्तन भूमि पर अतिक्रमण कर बेदखल करने से अप्रार्थी सं. 1 को वर्जित करने बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा पारित करने हेतु निवेदन किया। वकील अप्रार्थी ने इसका विरोध करते हुए प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 4 एवं 151 सीपीसी के तहत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया।

बहस वकील उभयपक्ष पर मनन कि[illegible]या। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाके चक 1 एन.पी. तहसील रायसिंनगर के संयुक्त [illegible] 5/6 में पं.नं. 133/307 मु.नं. 32 की 5.823 है. नहरी व 0.251 है. [illegible] की 2.530 है. नहरी कुल खाता योग 8.604 है. नहरी मय [illegible] अप्रार्थी संख्या [illegible] राजपालसिंह के नाम दर्ज 341/1434 हिस्सा भूमि व इसी चक के [illegible] 306 मु.नं. 17 के कि.नं. 1/2 की कुल खाता योग 0.127 है. [illegible] 1 के विरास्तन खातेदारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं किये जाने व प्रार्थीगण को उसकी भूमि से बेदखल नहीं किये जाने बाबत

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.05.15 12:05:05 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner

प्रकरण संख्या 55/2021 अनवान हरमनसिंह अदि बनाम राजपालसिंह आदि
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट निर्णय दिनांक 13.05.2024

अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई थी। उक्त प्रार्थना पत्र के जवाब में अप्रार्थी सं. 1 ने स्वयं ने स्वीकार किया है कि उक्त भूमि हकत्याग के जरिये बहिनों से प्राप्त हुई है उक्त भूमि विरासतन है ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

—:आदेश:—

लिहाजा उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार कर अप्रार्थी सं. 1 के विरूद्ध इस आश्य की अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की जाती हैं कि मूल वाद के निर्णय तक चक 1 एन. पी. तहसील रायसिंनगर के संयुक्त खाता संख्या 5/6 में पं.नं. 133/307 मु.नं. 32 की 5.823 है. नहरी व 0.251 है. खाला व पं.नं. 137/307 मु.नं. 10 की 2.530 है. नहरी कुल खाता योग 8.604 है. नहरी मय खाला में अप्रार्थी संख्या 1 राजपालसिंह के 341/1434 हिस्सा भूमि व इसी चक के खाता संख्या 72/4 में पं.नं. 133/306 मु.नं. 17 के कि.नं. 1/2 की कुल खाता योग 0.127 है. नहरी भूमि से प्रार्थीगण को बेदखल करने अथवा प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में मदाखलत करने से बाज व ममनु रहे।

निर्णय आज दिनांक 13.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुभाष चन्द्र)
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.05.15 12:05:05 IST
Reason: SelfAttested

SCAN AnyScanner